IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त
नीलगिरि काम्पलेक्स,इन्दिरा नगर,लखनऊ।

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

Bureau of Indian Standards SQMS

पत्र सं0– 992 /डब्लू–17/122 दिनांक–02 – 06–2020

ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु निविदाएं परिषद में निर्धारित श्रेणी (सीवर एवं जलापूर्ति) में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से एकल–बिड से दिनांक 17–06–2020 को अपरान्ह 3.00 बजे तक ई–टेण्डर पद्धति से **https://etender.up.nic.in** आमंत्रित की जाती हैं, जिनकी तकनीकी बिड उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे निर्माण खण्ड–4 लखनऊ के कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। परीक्षणोपरांत सफल निविदादाओं के प्रपत्र **etender.up.nic.in** पर लोड करते हुए फाइनेन्शियल बिड दिनांक 19–6–2020 को अपरान्ह 1.00 बजे खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	ई–निविदा का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	सम्बन्धित खण्ड का नाम
1–	अवध विहार योजना लखनऊ के सेक्टर–7ए में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 992 नग, दुर्बल आय वर्ग भवनों के क्षेत्र में आन्तरिक सीवर का कार्य।	47.00	0.94	1500.00 + 18% GST	04 माह	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड– 4, लखनऊ **8795810166**

Name of Account Holder	**Executive Engineer, Construction Division-4** U.P. Housing & Development Board, Neelgiri Complex, Indira Nagar, Lucknow
Account No.	**685210110002860**
IFSC Code	**BKID0006852**
Name of Bank	Bank of India , Indira Nagar, Lucknow

Document Download Start Date	05-06-2020	ई–निविदा निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि **RTGS** के माध्यम से उपरोक्त विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व खण्ड कार्यालय के खाते में अलग–अलग जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण उपरोक्तानुसार है:–
Bid Submission Start Date	05-06-2020	
Bid Submission /Closing Date	17-6-2020 (3.30 P.M.)	
Opening date of required documents	17-6-2020 (3.30 P.M.)	
Financial Bid Opening Date	19-6-2020 (1.00 P.M.)	

अ– निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर0टी0जी0एस0 के यू0टी0आर0 के नम्बर की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना होगा।

ब– निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट **http/upavp.in** के निविदा लिंक पर तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन की वेबसाइट **http/etender.up.nic** पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट पर देखते रहें, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक/ठेकेदार/फर्मों द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।

सामान्य शर्ते :–

1– निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुसार रायल्टी की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी।

2– उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष–2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अतः निविदा स्वीकृत एवं अनुबन्ध गठन के बाद एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा।

कमशः–2/–

3– निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य न होगा।

4– निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा का लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।

5– निविदादाताओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10% (दस प्रतिशत) जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक हो, जमा करनी होगी।

6– अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, जो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।

7– निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है, तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।

8अ– निविदादाता/फर्म को जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

ब– निविदादाता के सभी देयकों से कार्य की लागत पर देय आयकर एवं जी0एस0टी0 की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

स– कार्य की लागत में लेबरसेस व जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है। तद्समय देय जी0एस0टी0 व लेबरसेस आदि का भुगतान नियमानुसार कार्य की लागत पर देयता के अनुसार किया जायेगा।

9– यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है, तो निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।

10– शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तीन वर्ष होगी। अनुबन्धित धनराशि की 1.00 प्रतिशत डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तक रोकी जायेगी एवं उसके उपरांत ही वापस की जायेगी। शेष सिक्योरिटी अनुबन्ध की शर्तें जी0पी0डब्लू–9 के अनुसार ही वापस की जायेगी।

11– समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।

12– जी0पी0डब्लू–9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा।

13– कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित "मासिक प्रगति चार्ट" के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में उक्त माह के अवशेष कार्य को बिना नोटिस दिए अन्य डेबिटेबिल एजेन्सी से करा लिया जायेगा तथा कृत कार्य कराने में आयी अतिरिक्त लागत की रिकवरी कर ली जायेगी अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

14– निविदा की दर कम या अधिक (**Below or Above**) अंकित न होने पर कम (**Below**) माना जायेगा।

15– ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) एवं कुल धरोहर धनराशि के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपयुक्त रूप में आन–लाइन जमा करनी होगी।

16– शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08टी0सी0–2/दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 से **Below** देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/बैंक गारण्टी के रूप में निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।

(क) 10 प्रतिशत **Below** दर तक प्रति 1.00 प्रतिशत कम (**Below**) दर पर / 0.50 प्रतिशत।

(ख) 10 प्रतिशत से अधिक **Below** दर होने पर प्रति 1.00 प्रतिशत कम (**Below**) दर पर / 1.00 प्रतिशत।

17– सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य न होगा।

कमशः–3/–

18— शासनादेश संख्या 622/2372—2012—2आडिट/08टी0सी0—2 लोक निर्माण विभाग—12 दिनॉक 08.06.2012 के क्रम में मुख्य अभियंता (म0) के पत्र संख्या 4196/निविदा/2018 दिनॉक 14.09.2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप बिलो निविदा के मामले में वॉछित परफारमेन्स गारन्टी वित्तीय बिड खुलने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर एल—1 निविदादाता द्वारा जमा किये जाने के पश्चात स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

19— निविदा प्रपत्र के साथ टी—4,टी—5 अर्थात वैध चरित्र प्रमाण—पत्र एवं हैसियत प्रमाण—पत्र लोड करना अनिवार्य है।

(मो0 अली सफदर)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0 992 / डब्लू—17 /122 **दिनांक** 02-06-2020

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— मुख्य अभियन्ता(म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

2— अधीक्षण अभियन्ता—वृन्दावन वृत्त/मुख्यालय वृत्त/प्रोजेक्ट वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

3— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—2/3/4/7/11/12/13/14/15/19/21/31, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

4— इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

5— अवर अभियन्ता(तक0), तृतीय वृत्त, लखनऊ।

6— नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता